अन्तर्दृष्टि द्वारा सीखने या सूझ सिद्धान्त का मूल्यांकन (Evaluation of Gestalt Theory)— सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक प्रकार का अधिगम सम्भव नहीं है। बालक का पढ़ना, लिखना, बोलना अकस्मात् [illegible] होता। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के द्वारा सीखने की एक बड़ी चिन्तन प्रक्रिया है। अतः इसके द्वारा सीखना [illegible] पशुओं द्वारा संभव नहीं होता। प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि सूझ में प्रयत्न तथा भूल अवश्य होती है [illegible] पशु-क्षेत्र में अन्तर्दृष्टि के तथ्य को स्वीकार करने तथा सम्बन्धित स्पष्टीकरण देने में गेस्टाल्टवादियों के प्रयोग [illegible] हैं। मानव-क्षेत्र में तो अधिकतर कार्य अन्तर्दृष्टि के आधार पर किए जाते हैं। जटिल परिस्थितियों के समाधान का [illegible] प्रत्यक्षीकरण जब मनुष्य को होता है तो उसे अन्तर्दृष्टि का ही परिचायक मानते हैं। इस प्रकार सीखने की [illegible] बुद्धि, पूर्व-ज्ञान, रुचि, मनोवृत्ति आदि मानसिक-प्रवृत्तियों का उपयोग करता है। विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग [illegible] जिनको अभ्यास के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, बल्कि इनको सीखने के लिए सूझ की अति आवश्यकता है [illegible] के क्षेत्र में इस सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

कोहलर के सिद्धान्त का खण्डन भी हुआ है। **रिगंटन** आदि मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध [illegible] बन्दर के बच्चों पर प्रयोग करने पर अन्तर्दृष्टि का कोई भी परिचय नहीं मिला। उन्होंने दूसरी बात यह भी कही [illegible] समस्या का समाधान संयोग की बात है, अन्तर्दृष्टि या सूझ की बात नहीं है। इस प्रकार अन्तर्दृष्टि या सूझ सिद्धान्त को [illegible] प्राप्त नहीं है। अतः कोहलर द्वारा किए गए प्रयोगों को सरल बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त [illegible] अपरिचित विज्ञान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिद्धान्त दर्शन तथा मनोविज्ञान [illegible]

◆◆◆

7.6 गैने के अधिगम प्रकारों का पदानुक्रम (Gagne's Hierachy of Learning Types)

Unit-II

14. गैने के अधिगम प्रकारों के पदानुक्रम का वर्णन कीजिए।
(Describe the Gagne's Hierachy of learning types.)

अथवा

गैने द्वारा प्रतिपादित शिक्षण-अधिगम के सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(Discuss in detail Gagne'e theory of teaching and learning.)

अथवा

गैने द्वारा बताए गए अधिगम या सीखने के प्रकारों या परिस्थितियों का उल्लेख करें
(Elaborate the Gagne's learning types or conditions.)

अथवा

अधिगम की 'गैगनेज अनुबंधन' पर चर्चा करें।
(Discuss Gagne's conditions of learning.)

उत्तर–रॉबर्ट गैने *(Robert Gagne,* 1965*)* का शैक्षिक तकनीकी को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण [illegible] गैने ने यह सुझाव दिया कि अधिगम के साधारण सिद्धान्त अधिगम की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके समर्थन में [illegible] तर्क दिया कि अधिगम के स्वरूप में सामान्यीकरण उन अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर ही किया [illegible] जिन परिस्थितियों में अधिगम की प्रक्रिया होती है। गैने की धारणा के अनुसार साधारण या सामान्य व्यवहार के लिए [illegible] आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है। उदाहरणार्थ, बोध स्तर *(Understanding Level)* के शिक्षण के [illegible] लिए स्मृति स्तर को शिक्षण की 'पूर्व आवश्यकता' होती है।

रॉबर्ट गैने ने अधिगम या सीखने पर अधिक जोर दिया है। इसके अनुसार अधिगम निष्पत्ति या उपलब्धि में परिवर्तन की क्षमता को विकसित करना है। लेकिन गैने निष्पत्ति परिवर्तन *(Performance Change)* को अधिगम के समान ही समझता है। गैने ने अपनी पुस्तक 'अधिगम की परिस्थितियाँ' *(The conditions of learning)* में निष्पत्ति या परिवर्तन या अधिगम को आठ वर्गों में किया है। गैने के अनुसार अधिगम परिस्थिति **दो प्रकार** की होती है–

1. आन्तरिक परिस्थितियाँ *(Internal Conditions)*
2. बाहरी परिस्थितियाँ *(External Conditions)*

आन्तरिक परिस्थितियों में ध्यान, अभिप्रेरणा और पूर्व-अधिगम द्वारा अर्जित क्षमताओं को शामिल किया जाता है।

बाहरी परिस्थितियों के अन्तर्गत विद्यार्थी के बाहर की परिस्थितियों अर्थात् भौतिक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शामिल किए जाते हैं। गैने ने अधिगम में यांत्रिक अनुबंधन पर शास्त्रीय अनुबन्धन *(Classical Conditioning)* की अपेक्षा अधिक बल दिया है।

गैने का मानना है कि अध्यापक को विद्यार्थियों में विद्यमान पूर्व-अपेक्षित *(Pre-requisite)* क्षमताओं को प्रयुक्त करने की अपेक्षा विद्यार्थी के बाहर की उपयुक्त अधिगम परिस्थितियों को क्रमबद्ध करना अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। गैने महोदय ने आठ प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को 'अधिगम या सीखने के प्रकार' का नाम दिया है।

संक्षेप में गैने द्वारा बताए गए अधिगम प्रकारों का पदानुक्रम निम्न प्रकार से है–

1. संकेत अधिगम (Signal Learning)—संकेत अधिगम वास्तव में पैवलव *(Pavlav)* और वाटसन द्वारा बताया गया प्राचीन अनुबंधन *(Classical Conditioning)* ही है। इस अधिगम प्रक्रिया में प्राकृतिक और अप्राकृतिक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल उद्दीपन-विकल्प *(Stimulus Substitution)* है। अप्राकृतिक उद्दीपन से अप्राकृतिक अनुक्रिया उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ पैवलव के प्रयोग के अनुसार घंटी बजने पर कुत्ते के मुँह में लार उत्पन्न होता है। जबकि घंटी बजने को उसके सामने एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रयोग में घंटी संकेत का कार्य करती है। इसी प्रकार आय शिक्षण में छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान में संकेत अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे क = कबूतर, ख = खरगोश आदि।

2. उद्दीपन-अनुक्रिया अधिगम (Stimulus–Response Learning)—यह थार्नडाइक *(Thorndike)* के यांत्रिक अनुबंधन की तरह ही है। इस प्रकार का अधिगम 'स्किनर' की सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया का रूप है। इस प्रकार का अधिगम शिक्षण में शुद्ध और अशुद्ध उद्दीपन में विभेदीकरण, उद्दीपन के समूहों में विभेदीकरण जो पुरस्कार उत्पन्न करते हैं और जो नहीं करते, शामिल है। गैने का विचार है कि उद्दीपनों का विभेदीकरण करना अनुक्रियाओं के पुनर्बलन *(Reinforcement of Responses)* से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

जब किसी परिस्थिति में विद्यार्थी अनुक्रिया करता है और उसकी शुद्धता की पुष्टि की जाती है तब उससे विद्यार्थी को अपनी अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन मिलता है। इसी आधार पर शिक्षण परिस्थितियों में ऐसा ही वातावरण पैदा किया जाता है। जिसमें विद्यार्थी अनुक्रिया करते हैं तथा उसकी पुष्टि की जाती है। इससे तब अपेक्षित व्यवहार की आशाएँ बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य उदाहरण अभिक्रमित अनुदेशन है। इस प्रकार के अनुदेशन में इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। जब शिक्षण स्मृति स्तर पर किया जाता है, तब इसी प्रकार की अधिगम परिस्थिति उत्पन्न की जाती है।

3. शृंखला या चेन अधिगम (Chain Learning)—इसे व्यवहारात्मक शृंखला कहना अधिक उपयुक्त है। शृंखला निर्माण के लिए उद्दीपन-अनुक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसकी व्याख्या स्किनर और गिलबर्ट ने की है। शृंखला से अभिप्राय है—व्यक्तिगत उद्दीपन-अनुक्रियाओं के समूह का एक क्रम से सम्बन्ध।

गैने ने अपने सिद्धान्त में दो प्रकार की शृंखला अधिगम की व्याख्या की है–शाब्दिक और अशाब्दिक। गैने का विश्वास है कि शृंखला को शृंखला के रूप में नहीं सीखा जा सकता। जब तक कि व्यक्ति में व्यक्तिगत उद्दीपन अनुक्रिया *(Ss–Rs)* कड़ियों को जोड़ने की क्षमता न हो। उसके अनुसार इन कड़ियों *(Links)* को दोहराने से अधिगम अधिक होगा।

इस प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया को एक शृंखला में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षण पाठ्यवस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। क्रम में प्रस्तुत करने से पाठ्यक्रम को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। जानवरों तथा छोटे बच्चों के प्रशिक्षण में इसी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं।

4. शाब्दिक साहचर्य (Verbal Association)—इस प्रकार के अधिगम में शाब्दिक अनुक्रिया क्रम [illegible] *Verbal Responding)* की व्यवस्था की जाती है। अधिक जटिल शाब्दिक शृंखला के लिए व्यवस्था क्रम [illegible] करती है। शाब्दिक इकाई को सीखने के लिए उससे पहले वाली इकाई सहायता करती है। इस प्रकार के [illegible] भाषा-शिक्षण *(Language–Teaching)* में प्रयुक्त किया जा सकता है।

5. बहु-भेदीय या विभेदन अधिगम (Discrimination Learning)—इस प्रकार के अधिगम [illegible] शाब्दिक और अशाब्दिक शृंखला अधिगम *(Verbal and non-verbal chain learning)* को ग्रहण करने [illegible] होती है। बहु-भेदीय अधिगम वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के लिए विभिन्न अनुक्रियाएँ करता [illegible] सीमा तक भौतिक-दृष्टि से मिलती-जुलती है। इस प्रकार के अधिगम में शृंखलाओं में विभेदीकरण करने की [illegible] किया जाता है। सभी उद्दीपन मौलिक रूप से एक जैसे प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के अधिगम के लिए [illegible] *(Understanding level of teaching)* अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

6. प्रत्यय अधिगम या सीखना (Concept Learning)—प्रत्यय अधिगम से अभिप्राय है–उद्दीपनों [illegible] अनुक्रिया करना जबकि ये उद्दीपन एक दूसरे से भिन्न हों। बहु-भेदीय अधिगम प्रत्यय अधिगम की पूर्व-शर्त [illegible] होती है। प्रत्यय अधिगम विभेदीकरण अधिगम *(Discrimination learning)* पर भी निर्भर करता है। [illegible] 1964) ने प्रत्यय अधिगम पर अधिक बल दिया है। उद्दीपनों के एक समूह के लिए एक अनुक्रिया करना [illegible] मौलिक दृष्टि से अन्तर प्रतीत होता है। इस प्रकार का अधिगम विद्यार्थियों में ऐसी क्षमताओं का विकास करता [illegible] समस्त उद्दीपनों के समूह के लिए अनुक्रिया *(Response)* का निर्धारण कर लेता है। शिक्षण व्यवस्था द्वारा [illegible] अधिगम उपयुक्त रहता है।

7. अधिनियम अधिगम (Rule or Principle Learning)—इस प्रकार के अधिगम में दो या दो से [illegible] में शृंखला का निर्माण करना है। अतः इस प्रकार के अधिगम के लिए दो या दो से अधिक प्रत्ययों का होना [illegible] व्यवहार पर नियंत्रण इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे वह नियमों को शब्दों में प्रस्तुत कर सके। इसके लिए [illegible] की पूर्व आवश्यकता होती है। इस प्रकार का अधिगम चिन्तन स्तर पर किया जाता है। ऐसी शिक्षण व्यवस्था [illegible] की जाती है। यह व्यक्ति की एक आन्तरिक स्थिति होती है जो कि उसके व्यवहार पर नियंत्रण करती है। [illegible] कहलाता है। अधिनियम शब्दों में व्यक्त किया जाता है।

8. समस्या समाधान से सम्बन्धित अधिगम (Problem Solving Learning)—समस्या समाधान [illegible] का ही प्रसार है। इससे प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग क्रियान्वित होता है। इस प्रकार के अधिगम के लिए [illegible] की पूर्व आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिनियम के अन्तर्गत केवल अधिनियमों का प्रयोग ही नहीं होता, [illegible] अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। समस्या-समाधान स्थिति में विद्यार्थी पहले सीखे गए अधिनियमों [illegible] *(Combination)* की खोज करते हैं जो किसी नई परिस्थिति में प्रयुक्त हो सके। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत [illegible] से अधिक पहले सीखे गए अधिनियमों का मिश्रण कर देते हैं जिससे उच्च-स्तरीय अधिनियम के रूप में [illegible] है। नियमों के सीखने के बाद ही समस्या-समाधान की सम्भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार के अधिगम-[illegible] स्तर का शिक्षण ही ठीक रहता है।

गैने के अनुसार अनुदेशन को एक विशिष्ट क्रमानुसार प्रस्तुत करना चाहिए। इस क्रम से गैने की [illegible] क्रम अधिक व्यावहारिक बन पाएगा। **गैने** ने अपने इस क्रम *(Sequence)* को व्यावहारिक बनाने के लिए [illegible] मनोवैज्ञानिक शक्तियों का एक विशिष्ट क्रम प्रस्तुत किया है–प्रथम–अभिप्रेरणा *(Motivation)*, दूसरा–[illegible] तीसरा–मापन *(Measurement)*, चौथा–अधिगम स्वरूप या परिस्थिति *(Learning Conditions)*, [illegible] *(Form of knowledge)*, छठा–अधिगम के उद्देश्य *(Objectives of Leanrning)*।

शिक्षक को शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था अधिगम के स्वरूप *(Learning Conditions)* के [illegible] ताकि इनके अनुसार अभिप्रेरणा प्रविधियों का प्रयोग किया जा सके। विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का सम्बन्ध [illegible] *(Learning Objectives)* से होना आवश्यक है।

गैने द्वारा अधिगम परिस्थितियाँ
(Learning Conditions by Gange)

↓

संकेत-अधिगम या सीखना

↓

उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम

↓

शृंखला अधिगम

↓

शाब्दिक साहचर्य

↓

बहु-भेदीय अधिम

↓

प्रत्यय अधिगम या सीखना

↓

अधिनियम अधिगम

↓

समस्या समाधान अधिगम

चित्र : गैने द्वारा बताई गई अधिगम परिस्थितियाँ

◆◆◆

UNIT–IV

Sem – I

Paper I

8

अभिप्रेरणा
[Motivation]

Unit III

8.1 अभिप्रेरणा का सम्प्रत्यय
(Concept of Motivation)

1. अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकारों तथा अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं का [illegible]
(What do you understand by motivation? Explain the types and ch[illegible] of motivation behaviour.)

अथवा

अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरित-व्यवहार की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
(What is motivation? Elaborate the main characteristics of motivated b[illegible]

उत्तर–*'Motivation'* शब्द *'Movere'* से बना है जिसका अर्थ है गति करना *(To move)*। [illegible] व्यक्ति में किसी कार्य को करते रहने के लिए अतिरिक्त लगन और उत्साह पैदा करती है। मनुष्य का [illegible] किसी उद्देश्य को लेकर होता है। वह जो कुछ भी करता है अपनी किसी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति के [illegible] अभिप्रेरणा पूर्ति का वह प्रक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य प्राप्ति के लिए मजबूर हो जाता है। साधारण शब्दों में [illegible] "किसी वस्तु को करने और सन्तुष्टि प्राप्त करने की शक्ति को अभिप्रेरणा कहा जाता है।"

किसी कार्य को सीखने के लिए तथा क्रिया के लिए अभिप्रेरणा का होना आधार है। शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] व्याख्या विद्यार्थियों में सीखने के लिए तथा रुचि और उत्साह पैदा करने के लिए की जाती है। अभिप्रेरणा के [illegible] के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

1. जे. पी. गिलफोर्ड के अनुसार–"अभिप्रेरणा कोई भी आन्तरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को [illegible] बनाए रखने में प्रवृत्त होती है।"

2. जॉनसन के अनुसार–"अभिप्रेरणा पर सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है जो मानव-व्यवहार को [illegible] ले जाती है।"

3. एन. एच. मन के अनुसार–"कोई भी वस्तु, बाहरी या आन्तरिक जो किसी क्रिया को प्रारम्भ करने में [illegible] पहल करने में सहायता दे अभिप्रेरक है।"

4. वुडवर्थ के अनुसार–"अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के [illegible] व्यवहार को स्पष्ट करती है।"

5. यंग के अनुसार–"अभिप्रेरणा कार्य को प्रारम्भ करने, उसे दिशा देने तथा उसकी गति को बनाए रखने [illegible]

6. क्रो एवं क्रो के अनुसार–"अभिप्रेरणा से अभिप्राय सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है तथा यह सीखने का [illegible]

7. मैक्डूगल के अनुसार–"अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएँ हैं जो किसी कार्य को करने के [illegible] करती हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् यह बात सामने आती है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है। यह साध्य तक पहुँचने का मार्ग दिखलाती है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति के लिए प्रयास आरम्भ करना और प्रयास को लक्ष्य-प्राप्ति तक जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जा सकता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा पर बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा सीखने का मुख्य नहीं सहायक अंग है। अभिप्रेरणा के बिना सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता।

अभिप्रेरणा के प्रकार (Types of Motivation)—अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है–

1. अन्तर्निहित-अभिप्रेरणा या प्राकृतिक-अभिप्रेरणा

2. बहिर्निहित-अभिप्रेरणा या बनावटी-अभिप्रेरणा

1. अन्तर्निहित-अभिप्रेरणा को प्राकृतिक-अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है। जब मनुष्य अपने आप किसी वस्तु को सीखना चाहता है तो ऐसी प्रेरणा को अन्तर्निहित-अभिप्रेरणा कहते हैं। अन्तर्निहित-अभिप्रेरित वह व्यक्ति होता है जिसे अभिप्रेरक के अनुरूप होने से ही सन्तुष्टि मिलती है और वह क्रिया भी स्वयं ही करता है। यदि अध्यापक बच्चों को यह अभिप्रेरणा दे सके कि सीखने से स्वयं को सन्तुष्टि मिलती है तो वह बच्चों को सीखने का एक बहुत बढ़िया ढंग प्रयोग कर रहा होता है। भूख, प्यास, सुरक्षा आदि प्राकृतिक-अभिप्रेरक हैं।

2. बहिर्निहित-अभिप्रेरणा का अर्थ है कि मनुष्य उस वस्तु के लिए नहीं अपितु उसके द्वारा कुछ और उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। जब हम कुछ विषय अपनी जीविका कमाने के लिए सीखते हैं तो वह बहिर्निहित-अभिप्रेरणा है। इस अभिप्रेरणा में आनन्द का स्रोत कार्य में निहित नहीं होता। इसमें व्यक्ति कोई प्रशंसा प्राप्ति के लिए, पुरस्कार प्राप्ति के लिए अथवा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है।

सीखने के क्षेत्र में अन्तर्निहित-अभिप्रेरणा, बहिर्निहित-अभिप्रेरणा से बढ़िया है तथा इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। सीखने की स्थिति तथा कार्य की प्रकृति के अनुसार अध्यापक को उचित प्रकार की अभिप्रेरणा का चुनाव करना चाहिए ताकि बालक सीखने की प्रक्रिया में रुचि ले सकें।

अभिप्रेरित या प्रेरणायुक्त-व्यवहार की विशेषताएँ (Characteristics of Motivated Behaviour)—अभिप्रेरित या प्रेरणायुक्त-व्यवहार में **निम्नलिखित विशेषताएँ** होती हैं–

1. शक्ति का उत्पन्न होना–प्रेरणायुक्त-व्यवहार का पहला लक्षण यह कि इसमें व्यक्ति में कार्य करने की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सामान्य अवस्था में उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, किन्तु प्रेरणा आ जाने पर उसमें बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। शक्ति के इस उत्पन्न की क्रिया रासायनिक और शारीरिक कारणों से होती है। **उदाहरण के लिए**–दौड़ प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के दौड़ने की गति तीव्र हो जाती है, क्रोध आ जाने पर एक दुर्बल और शान्त व्यक्ति में बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, परीक्षा निकट आ जाने पर विद्यार्थी घण्टों बैठे पढ़ते रहते हैं किन्तु थकते नहीं; इत्यादि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। ये सभी व्यवहार और क्रियायें प्रेरणायुक्त हैं।

2. परिवर्तनशीलता–अभिप्रेरित-व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही कोई व्यवहार या क्रिया की जाती है। इस तरह की क्रियाओं में एकरसता नहीं होती, उनमें बार-बार पुनरावृत्ति भी नहीं होती। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने व्यवहार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें बराबर परिवर्तन करता रहता है। जब तक उसे लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति का सही मार्ग नहीं मिलता तब तक वह मार्ग बदलता रहता है।

3. चयनता या चुनाव करना–चयनता भी प्रेरणा की एक विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि प्रेरणायुक्त व्यक्ति अनुभव और व्यवहार का चयन करता है। व्यक्ति उसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे–किसी व्यक्ति के सामने भोजन है और पानी नहीं है, लेकिन उसे पानी की आवश्यकता है तो वह भोजन की तुलना में पानी प्राप्त करने का अधिक प्रयास करेगा।

4. निरन्तरता–कोई भी प्रेरणायुक्त क्रिया या व्यवहार जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रारम्भ किया जाता है, उस समय तक चलता है जब तक कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। उसके लगातार जारी रहने का लक्षण या गुण निरन्तरता कहलाता है। किसी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाला विद्यार्थी उस समय तक पढ़ता ही रहता है जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाती।

5. लक्ष्य प्राप्त करने की व्यग्रता–प्राणी या व्यक्ति को किसी भी प्रेरणायुक्त व्यवहार में लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करने की व्यग्रता रहती है। प्यास लगने पर पानी ढूँढ़ने या प्राप्त करने की इच्छा व्यग्रता कहलाती है।

6. लक्ष्य-प्राप्ति पर व्यग्रता समाप्त हो जाती है–जब कि किसी प्रेरणायुक्त-व्यवहार के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे करने की व्यग्रता भी समाप्त हो जाती है। यह व्यग्रता उसी समय तक रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद व्यग्रता समाप्त हो जाती है। अतः जब तक व्यग्रता रहती है, व्यक्ति में एक तनाव की स्थिति रहती है और उसके बाद वह समाप्त हो जाती है।

◆◆◆

2. अभिप्रेरणा या प्रेरणा से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्रेरक या प्रेरकों (Motives) के महत्त्वपूर्ण प्रकारों का वर्णन कीजिये।
(What do you mean by motivation? Explain the main types of motives.)

अथवा

अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अर्जित और जन्मजात-प्रेरकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।
(What is the meaning of motivation? Explain in detail about acquired and innate motives.)

अथवा

अभिप्रेरणा या प्रेरणा किसे कहते हैं? कुछ महत्त्वपूर्ण अर्जित और जन्मजात-प्रेरकों (Acquired and Innate Motives) का उल्लेख कीजिये।
(What is motivation? Elaborate some important acquired and innate motives.)

उत्तर–अभिप्रेरणा के अर्थ को अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है। अभिप्रेरणा के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण मनोविज्ञानकों द्वारा दी गई परिभाषाएँ इस प्रकार हैं–

ड्रेवर *(Drever)* के अनुसार, **"प्रेरक एक प्रभावात्मक ज्ञानात्मक घटक है जो किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के सचेतन-रूप में समझे गए अथवा अचेतन व्यवहार की दिशा निर्धारित करने में क्रियाशील होता है।"**

आर. एस. वुडवर्थ *(R.S. Woodworth)* के शब्दों में, **"प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा अथवा तत्परता है जो किसी व्यवहार तथा लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संलग्न करती है।"**

गिल्फर्ड *(Guilford)* के शब्दों में, **"प्रेरणा कोई भी विशिष्ट आन्तरिक घटक अथवा दशा है जो कार्य को प्रारम्भ करने तथा उसे चलाए रखने में प्रवृत होती है।"**

शैफर तथा अन्य *(Shaffer and Others)* के अनुसार, **"प्रेरणा को उदीरणा द्वारा उत्प्रेरित तथा समायोजन द्वारा समाप्त क्रिया के प्रति प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"**

मॉर्गन *(Mogan)* के अनुसार, **"प्रेरणा एक सामान्य पद है जिसका प्रयोग किसी कार्य को सम्पन्न करने के चुनाव अथवा एक निश्चित-ढंग से कार्य करने की तत्परता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।"**

मैक्डूगल *(McDougall)* के अनुसार, **"अभिप्रेरणा जीव के भीतर की देह–वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएँ है जो उसे नियत-ढंगों से कार्य करने की ओर उन्मुख करती हैं।"**

गुड *(Good)* के शब्दों में, **"प्रेरणा कार्य को जागृत करने, जारी रखने एवं नियन्त्रित रखने की क्रिया है।"**

ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन *(Blair Jones and Simpson)* के विचार से, **"प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की आन्तरिक शक्तियाँ अथवा आवश्यकताएँ उसके वातावरण की विभिन्न लक्ष्य-वस्तुओं की ओर निर्देशित होती हैं।"**

प्रेरक (तथा प्रेरणा) की उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा में अग्रलिखित विशेषताएँ सम्मिलित हैं–

(i) प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है।

(ii) यह व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करती है तथा उसकी क्रियाओं की गति का संचालन करती है।

(iii) जब व्यक्ति को कोई प्रेरक मिलता है तो वह एक तनाव एवं असंतुलन का अनुभव करता है।

(iv) प्रेरणा से व्यक्ति को एक दिशा में कार्य करने की उत्तेजना मिल जाती है।

(v) प्रेरक से उत्पन्न इस उत्तेजना के साथ ही व्यक्ति को एक गतिशील धक्का लगता है।

(vi) प्रेरक के प्रभाव से व्यक्ति कार्य करने लगता है तथा उसकी क्रियाएँ तब तक चलती रहती हैं, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रेरक के मुख्य रूप से तीन कार्य हैं–

1. ये कार्यों अथवा क्रियाओं का प्रारम्भ करते हैं।
2. क्रियाओं से गतिशील बनाए रखते हैं; तथा
3. उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने तक क्रियाओं को निश्चित दिशा की ओर प्रेरित रखते हैं।

(vii) **गेटस** *(Gates)* तथा **अन्य मनोवैज्ञानिकों** के अनुसार, **"प्रेरक व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं। वे कार्यों का चुनाव करते हैं तथा व्यवहार को निर्देशित करते हैं।"**

प्रेरकों का वर्गीकरण (Types of Motives)—प्रेरकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मतों के सारांश के आधार पर **प्रेरकों के मुख्य प्रकार** इस प्रकार से हैं–

(i) प्राकृतिक प्रेरक–आन्तरिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित।

(ii) कृत्रिम-प्रेरक–बाह्य-आवश्यकताओं से सम्बन्धित।

मन (Munn) के मतानुसार प्रेरक **निम्न तीन प्रकार** के हो सकते हैं–

(i) शारीरिक आवश्यकताएँ

(ii) सामाजिक आवश्यकताएँ

(iii) व्यक्तिगत आवश्यकताएँ जैसे–रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ आदि।

थॉमस (Thomas) ने प्रेरकों को **चार भागों में** विभाजित किया–

(i) अनुभव प्राप्त करने की इच्छा

(ii) सुरक्षा की इच्छा

(iii) प्रतिक्रिया करने की इच्छा

(iv) प्रशंसा की इच्छा

वुडवर्थ (Woodworth) तथा **मारिक्यूवस (Marquis)** के विचार से प्रेरक **निम्न तीन प्रकार** के हो सकते हैं–

(i) शारीरिक आवश्यकताएँ

(ii) आकस्मिक-प्रेरक

(iii) पदार्थ-सम्बन्धी प्रेरक।

कुछ अन्य विद्वानों ने **प्रेरकों का वर्गीकरण** इस प्रकार किया–

(i) **जन्मजात-प्रेरक**–भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध, मल-विसर्जन।

(ii) **अर्जित-प्रेरक**–व्यक्तिगत-प्रेरक, सामाजिक प्रेरक।

सुविधा के लिए प्रेरकों को आन्तरिक व जन्मजात इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरक या प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। प्रेरकों के सम्बन्ध में अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे–शारीरिक-मनोवैज्ञानिक, आन्तरिक-अर्जित, वैयक्तिक-सामाजिक। आवश्यकताएँ, चालक, प्रेरक और मूल प्रवृत्तियाँ आदि सब इसी कोटि में आती हैं। सुविधा के लिए प्रेरकों को **आन्तरिक व जन्मजात** इन दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) अर्जित-प्रेरक (Acquired Motives)—अर्जित-प्रेरकों के अन्दर मनुष्य के व्यवहार के वे चालक शामिल हैं जिन्हें वह अपने जीवनकाल में सीखता है। इन्हें शिक्षा द्वारा या वातावरण के सम्पर्क से व्यक्ति अर्जित या प्राप्त करता है। इसलिए इन्हें सीखे हुये प्रेरक भी कहते हैं। इन प्रेरकों के लिए भिन्न-भिन्न नामों का प्रयोग हुआ है जैसे–गौण-प्रेरक, कम आवश्यक प्रेरक या मनोवैज्ञानिक प्रेरक आदि। अर्जित-प्रेरक मुख्य रूप से **निम्नलिखित दो प्रकार** के होते हैं–*(i)* व्यक्तिगत, *(ii)* सामाजिक।

(i) व्यक्तिगत अर्जित-प्रेरक (Individual Acquired Motives)—अपने जीवनकाल में हर व्यक्ति अलग-अलग वातावरण के सम्पर्क में आता है और उससे प्रभावित होता है। हर व्यक्ति के जीवनकाल के अनुभव भी भिन्न-भिन्न होते हैं। इन सबसे प्रभावित होकर उसमें विशिष्ट प्रकार की मनोवृत्ति, इच्छायें और लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ व्यक्तिगत अर्जित-प्रेरक कहलाती हैं।

व्यक्तिगत अर्जित-प्रेरकों के प्रकार (Types of Individual Acquired Motives)–अर्जित-प्रेरक [illegible] के होते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तिगत अर्जित-प्रेरक निम्नलिखित हैं–

1. जीवन-लक्ष्य (Life Goal)–हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है–कोई डॉक्टर [illegible] है, कोई इंजीनियर तो कोई अध्यापक, कोई नेता बनना चाहता है, कोई व्यापारी तो कोई कवि या साहित्यिक [illegible] जीवन की क्रियाएँ और व्यवहार इन्हीं लक्ष्यों से निर्धारित होते हैं, वे इन्हीं के अनुसार ढलते हैं। फिर इन लक्ष्यों की [illegible] भावनाओं में भी अन्तर होता है। कोई नेता बनकर जनता की सेवा करना चाहता है, कोई पैसा कमाने के लिए नेता [illegible] है। इस आन्तरिक भावना का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है।

2. आकांक्षा-स्तर (Aspiration Level)–जीवन में किसी स्तर तक अपने को पहुँचाने की जो अभिलाषा [illegible] मन में होती है वहीं आकांक्षा-स्तर *(Level of aspiration)* कहलाती है। जीवन में आगे बढ़ने और बड़े-बड़े कार्य [illegible] आकांक्षा-स्तर से जबर्दस्त प्रेरणा मिलती है। एक मेधावी विद्यार्थी जो आई. ए. एस. का अफसर बनने की आकांक्षा [illegible] अपने सारे प्रयास उस ओर लगा देता है।

3. मद-व्यसन (Addiction)–अनेक व्यक्ति नशे का सेवन करने लगते हैं और उसकी आदत डाल लेते हैं। [illegible] बिना वे रह ही नहीं सकते। वह उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। निश्चित समय और निश्चित अन्तर [illegible] उन्हें मिलते रहने चाहिएँ अन्यथा उनकी सारी शक्तियाँ जवाब दे जाती हैं। जैसे सिगरेट-बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, अफीम, [illegible] भांग, शराब का सेवन करना, चाय, कॉफी इत्यादि पीने की आदत डालना आदि।

4. आदत की विवशता (Compulsion of Habit)–कुछ कार्य यदि नियमित रूप से लगातार किए [illegible] आदतों का रूप धारण कर लेते हैं। आदतें भी एक बलवान प्रेरक होती हैं और आदत-जन्य व्यवहार को दोहराने के लिए [illegible] को बाध्य करती हैं, जैसे–यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने की आदत है तो निश्चित समय पर [illegible] उसे स्नान करने की प्रेरणा मिलेगी और वह स्नान-गृह में पहुँच जाएगा।

5. अचेतन-प्रेरक (Unconscious Motives)–कभी-कभी व्यक्ति के जीवनकाल में कुछ ऐसी घटनायें [illegible] हैं जो उसके मन को गहराई तक प्रभावित कर देती हैं। वे मन के अचेतन-स्तर में जाकर बैठ जाती हैं। ऐसी बातों का [illegible] को बड़े होने पर कोई ज्ञान नहीं होता, कोई चेतना नहीं होती, लेकिन ये अचेतन-स्तर में बैठी हुई बातें मनुष्य व्यवहार को [illegible] अधिक प्रेरित करती हैं जैसे–एक व्यक्ति है जो व्यस्क हो गया है, लेकिन चूहों को देखकर भाग जाता है, उनसे डरता है। [illegible] लगाने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसे चूहों से डराया जाता था। दूसरा व्यक्ति बचपन में नदी में डूबने से बचा था। [illegible] नदी में प्रवेश करने में भय लगता है। इस प्रकार ये अचेतन–प्रेरणाएँ व्यक्ति के व्यवहार को अचेतन रूप से प्रभावित [illegible]

6. मनोवृत्तियाँ (Attitudes)–हर व्यक्ति वातावरण के तत्त्वों के प्रति कोई न कोई धारणा बना लेता है। [illegible] अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। इसी को मनोवृत्ति कहते हैं, जैसे–एक व्यक्ति को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है। [illegible] जातियाँ होती हैं, उनमें वह ब्राह्मण-वर्ग के लोगों को अधिक महत्त्व देता है। एक युवक अमिताभ बच्चन का अभिनय [illegible] पसन्द करता है, वह उसकी प्रशंसा करेगा और उसकी सभी फिल्में देखने की कोशिश करेगा।

(ii) सामाजिक अर्जित-प्रेरक (Social Acquired Motives)—हर व्यक्ति समाज का सदस्य होता है और [illegible] व्यवहार कुछ ऐसे प्रेरकों से प्रभावित होता है, जिनका स्त्रोत समाज में होता है। ऐसे प्रेरकों को ही सामाजिक-प्रेरक [illegible] सामाजिक-प्रेरक **निम्नलिखित प्रकार** के होते हैं–

1. सामूहिकता (Group Feeling)–यह एक भावना है जो हर सामाजिक प्राणी में पाई जाती है। मनुष्य [illegible] प्रारम्भ में बहुत अधिक आश्रित होता है। वह अपने हर कार्य के लिए दूसरों का मुँह देखता है। इसके बाद वह कुछ [illegible] संगी-साथियों के साथ रहता है और व्यस्क होकर भी एक सामाजिक प्राणी बना रहता है। उसकी सामूहिकता की यह [illegible] सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। यह भावना सामाजिक व्यवहार का प्रेरक है। व्यक्ति इस भावना से [illegible] होकर सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करता है और तरह-तरह के सामाजिक कार्य करता है।

2. आत्म-गौरव (Self-Respect)–जब व्यक्ति समाज के सम्पर्क में आता है और अन्य व्यक्तियों के बीच में [illegible] तो उनसे आदर पाने की भावना उसमें आ जाती है। यह भावना भी एक सामाजिक-प्रेरक ही है। क्योंकि समाज में ही [illegible] करती है। यह भावना व्यक्ति को ऐसी बहुत-सी क्रियायें करने के लिए प्रेरित करती है जो उसे समाज में सम्मान प्रदान [illegible] जब उसके सम्मान या अहं को चोट पहुँचती है तो यही भावना उसे विरोध करने के लिए प्रेरित करती है।

8. होम्योस्टैसिस (Homeostasis)–हमारे शरीर के अन्दर अनेक तत्त्व हैं। सभी तत्त्व उपयुक्त मात्रा में [illegible] शरीर में पाये जाने वाले नमक, पानी, ऑक्सीजन, शक्कर, प्रोटीन, चर्बी, अम्ल, कार्बनडाइ-आक्साइड, दस्ता [illegible] अनुपात में पाये जाते हैं। इनमें से किसी वस्तु की कुछ कमी या अधिकता होने पर शरीर में एक बेचैनी या [illegible] पर व्यक्ति अपने शरीर में इससे सम्बन्धित वस्तु की पूर्ति करने की कोशिश करता है। शरीर में पानी कम होने [illegible] और व्यक्ति पानी ढूँढ़ने का प्रयास करता है। आक्सीजन की कमी होने पर वह जोर से सांस लेने की कोशिश [illegible]

9. तापक्रम का नियमन (Regulation of Temperature)–मनुष्य के शरीर में तापक्रम को [illegible] भी व्यवस्था होती है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम का एक यन्त्र होता है जो शरीर के तापमान को एक निश्चित [illegible] ही रखता है। जब तापक्रम किसी विष या जीवाणुओं के कारण बढ़ने लगता है तो यह उसे कम करता है, जब [illegible] लगता है तो वह उसे बढ़ाता है। इस आवश्यकता से प्रेरित होकर तापमान को भी कई प्रकार के व्यवहार करने [illegible] पंखा चलाना, पसीना आना, कपड़े पहनना या उतारना इत्यादि।

10. पलायन की प्रवृत्ति (Withdrawl Tendency)–यह एक जन्मजात-प्रवृत्ति है जो हर व्यक्ति में [illegible] खतरे से व्यक्ति को दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। जब वातावरण की ऐसी किसी परिस्थिति में से व्यक्ति को [illegible] जहाँ उसकी कोई हानि सम्भव होती है और भागने से बचत हो सकती है, तो वह पलायन करता है। सड़क पर या [illegible] कोने में सांप को देखकर व्यक्ति भागता है। भागने की प्रेरणा पलायन की प्रवृत्ति से मिलती है, जिसका सम्बन्धित [illegible]

11. युयुत्सा या आक्रामकता (Agression)–अपने मार्ग में जब व्यक्ति कोई बाधा देखता है तो उसे [illegible] जिसके कारण उसके अन्दर स्थित युयुत्सा या आक्रामकता उस बाधा को दूर करने के लिए उसे प्रेरित करती है। [illegible] प्राणी है तो उससे व्यक्ति लड़ पड़ता है। यह व्यवहार युयुत्सा या आक्रामकता के प्रेरक के कारण होता है।

12. अनुकरण (Limitation)–प्रत्येक व्यक्ति में बाल्यावस्था से ही दूसरों द्वारा किए हुए लाभदायक कार्यों [illegible] करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण ही हम बहुत-से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं।

13. सहानुभूति (Sympathy)–वह एक प्रेरक है जो अन्य लोगों के समान अनुभूति करने और उनका [illegible] के लिए हमें प्रेरित करता है, इसी के कारण हम दूसरों के सुख-दुःख में साझीदार बनते हैं और हमारे सुख-दुःख में [illegible] बनते हैं।

14. क्रीड़ा-प्रवृत्ति (Play Tendency)–खेलने का प्रेरक हमें खेलने के लिए प्रेरित करता है। हमारा [illegible] खेल से प्रभावित होता है। व्यक्ति को खेल की प्रेरणा-क्रीड़ा प्रवृत्ति से प्राप्त होती है।

15. मातृत्व भाव (Maternal Feelings)–मातृत्व-भाव के कारण प्राणी अपनी संतानों की देखभाल और [illegible] करते हैं। कुछ लोगों में यह भावना अधिक होती है और कुछ में कम। ऐसी लड़कियाँ शुरू से ही खेलों में अपने [illegible] प्रकट करती हैं।

16. हास्य भाव (Humour Feeling)–प्रत्येक व्यक्ति मे जन्म से ही हास्य-भाव भी होता है। इसके [illegible] वह हँसी-मजाक वाली बातें और कार्य करता है। यह प्रेरक दैनिक कार्यों को करने से उत्पन्न मानसिक तनाव को कम [illegible]

◆◆◆

3. शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए सीखने की प्रक्रियाओं में अभिप्रेरणा की [illegible] या महत्त्व का वर्णन कीजिए।

अथवा

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है? बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने की [illegible] विधियों या उपायों की विवेचना कीजिये।

(What is the role of motivation in Learning? Discuss the various methods [illegible] measures for motivating children's.)

उत्तर–शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका या महत्त्व **(Role or Importance of Motivation in Learning Process)**—शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका या महत्त्व निम्न प्रकार से है–

1. परिपक्वता का महत्त्व (Importance of maturation)–स्कूल में सीखने की प्रक्रिया अवश्य प्रभावित होगी यदि विद्यार्थियों को दिया गया कार्य विद्यार्थियों की परिपक्वता के स्तर से बहुत अधिक कठिन हो। उनकी परिपक्वता को ध्यान में रखा जाए तो अभिप्रेरणा अधिक होगी। परिपक्वता और अभिप्रेरणा में अवश्य ही तालमेल बिठाया जाना चाहिए। औपचारिक अधिगम तभी होगा जब विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक रूप से परिपक्व हो।

2. निश्चित उद्देश्य (Definite purpose)–सीखने की प्रक्रिया पर स्पष्ट उद्देश्यों और ज्ञान का प्रभाव अत्यधिक होता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सम्मुख पहले सारे उद्देश्य स्पष्ट करे। तभी सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो पायेगी।

3. प्रशंसा और निन्दा (Praise and criticism)–बहुत से अध्ययनों के लिए प्रशंसा और निन्दा का बहुत ही महत्त्व होता है। प्रशंसा और निन्दा के लिए आयु, सैक्स आदि पर भी विचार करना पड़ेगा। अतः अध्यापक को चाहिए कि अधिगम या सीखने की परिस्थितियों में प्रशंसा और निंदा का प्रयोग सोच-समझ कर करें।

4. बालक के व्यक्तित्व को पहचानना (To identify the personality of the children)–कक्षा में बालकों का अनादर करना या उनको हतोत्साहित करना हानिकारक हो सकता है। शर्म और हतोत्साहन उचित संवेग नहीं माने जाते हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व को विघटित करते हैं तथा आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न करते हैं और कई बार ये संवेग बच्चे को स्कूल की क्रियाओं से अलग कर देते हैं और इन क्रियाओं को सीखने के विरुद्ध बच्चों के मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर देते हैं। ये परिस्थितियाँ उसे कदाचारी बना देती हैं।

अतः बच्चे के व्यक्तित्व का अनादर बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं तथा मनोविज्ञान दृष्टि से कुंठा की भावना स्कूल-अधिगम में सबसे अधिक खतरनाक परिस्थिति होती है।

5. अभिप्रेरणा में दृष्टिकोणों का महत्त्व (Role of a attitdes in motivation)–दृष्टिकोण रुचियों और ध्यान से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित होता है। दृष्टिकोण किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति की क्रियाओं का समूह होता है। दृष्टिकोण अभिप्रेरकों को मार्ग देते हैं। दृष्टिकोण नये अनुभवों की केवल तैयारी ही नहीं होती, बल्कि यह अनुभव प्राप्त करने के लिए नई सीमायें भी निर्धारित करते हैं।

6. अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना (To get attention, interest and encouragement from motivation)–कक्षा में अधिगम प्रक्रिया तीव्र करने के लिए प्राथमिक पूर्ति के रूप में अभिप्रेरणा आवश्यक है। बालकों में ध्यान को केन्द्रित करने के लिए रुचि और उत्साह की आवश्यकता होती है। कुछ मात्रा में रुचि छात्रों में विद्यमान होती है और कुछ मात्रा में अध्यापक को रुचि पैदा करनी पड़ती है। इस प्रकार पूर्व विद्यमान रुचियों द्वारा अभिप्रेरणा उत्पन्न करना एक अच्छे शिक्षा कार्यक्रम का संकेत होता है। छात्रों में रुचियाँ नये कौशलों को प्राप्त कर उत्साह से और संतोषजनक अनुभव से उत्पन्न होता है। बुद्धिमान अध्यापक छात्रों की थोड़ी रुचि का लाभ उठा लेता है। विषय-वस्तु की व्याख्या उस समय सबसे अधिक होती है जब विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछें।

7. सीखने में आत्म-अभिप्रेरणा का महत्त्व (Role of self-motivation in learning)–परिणामों का ज्ञान, उच्च-आकांक्षाएँ और स्पष्ट उद्देश्य विद्यार्थी में आत्म-अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। इनसे विद्यार्थी को आन्तरिक अभिप्रेरणा मिलती है। चरित्र का विकास और आदर्श नागरिकता के विकास के लिए आत्म-अभिप्रेरणा से अच्छा ढंग कोई नहीं हो सकता। अध्यापक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देकर संभव तरीका बता देते हैं, लेकिन अंतिम चयन विद्यार्थियों पर छोड़ देते हैं। अतः सीखने में आत्म-अभिप्रेरणा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

8. सीखने में अभिप्रेरणा के लिए प्रतियोगिताएँ अधिक उपयोगी (Competitions are more useful for motivation in Learning)–सीखने की प्रतियोगिताओं का प्रयोग अभिप्रेरणा के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहता है। इन प्रतियोगिताओं में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। प्रतियोगिता और सहयोग छात्रों में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए भी अभिप्रेरित करती है जो कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है। कई परिस्थितियों में प्रतियोगिता से आपसी मनमुटाव या द्वेष भावना की भी संभावना रहती है।

9. प्रभावशाली शिक्षण के लिए छात्रों में सीखने की इच्छा होना (For effective teaching learning desire is must in students)–प्रभावशाली अधिगम के लिए विद्यार्थी में सीखने की इच्छा का होना अति आवश्यक है। वास्तव में, सीखने की गति और दक्षता दोनों ही सीखने की इच्छा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं। अतः सीखने में विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा के लिए सीखने की इच्छा अति आवश्यक है बिना इच्छा के कोई भी विद्यार्थी सीखने के लिए कभी भी अभिप्रेरित नहीं हो सकता।

10. सीखने में अभिप्रेरणा के लिए छात्रों में आवश्यकता को जाग्रत करना–सीखने की इच्छा की [illegible] के अचेतन मन की आवश्यकताओं को जाग्रत किया जाए। बिल के अनुसार हमारी क्रियायें अचेतन द्वारा [illegible] आन्तरिक इच्छाओं और आवश्यकताओं का सबसे अधिक सत्य संकेत होता है। अतः अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों की [illegible] पर नजर रखते हुए उन्हें पूरा करके विद्यार्थियों के सीखने की अभिप्रेरणा को विकसित कर सकता है। [illegible] विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न तनाव भी कम हो जाता है और तनाव की कमी हो जाने से विद्यार्थी सीखने की [illegible] अभिप्रेरित होंगे।

उपरोक्त कारकों के आधार पर सीखने या अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्त्व स्पष्ट हो [illegible] को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिप्रेरणा एक आवश्यकता है।

प्रभावशाली उपलब्धि के लिए अभिप्रेरणा (Motivation for effective achievement) [illegible] सीखने के लिए अभिप्रेरित करने की विधियाँ या उपाय (Methods or measures for motivating [illegible]

1. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान (To check the physical health of the ch[illegible]–[illegible] को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। इसके अभाव में पढ़ाई में मन कम लगता है तथा अधिक [illegible] भी नहीं हो सकेगा। थकान और बीमारी उनकी कार्यक्षमता को कम करते हैं। कोई भी शारीरिक त्रुटि जैसे–[illegible] सुनना या अन्य कष्ट बच्चों की पढ़ाई में रुचि पैदा नहीं होने देते, अतः वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।

2. कक्षा का अच्छा वातावरण (Healthy environment of the school)–कक्षा का [illegible] अनुकूल होना चाहिए। कक्षा में बैठने का प्रबन्ध उचित तथा आरामदेह होना चाहिए। प्रकाश और हवा की [illegible] चाहिए। अधिक गर्मी या ठंड भी छात्र की कार्यक्षमता को कम करती है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी शोर करके भी [illegible] को बिगाड़ देते हैं। श्यामपट्ट पर पालिश हुई होनी चाहिए, जिससे लिखने और साफ करने में आसानी रहे।

3. शिक्षा की उपयोगिता (Utility of the education)–शिक्षा की उपयोगिता ध्यान और रुचि की [illegible] जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है उसे हम शीघ्र सीखना चाहते हैं तथा उसके लिए हम कठिन प्रयत्न करते हैं [illegible] भी स्थायी होता है। अनुपयोगी बातों पर हम कम ध्यान देते हैं। ऐसे विषय की ओर बालक कम रुचि लेता है [illegible] कोई उपयोगिता न हो। इसलिए शिक्षा या पाठ की उपयोगिता ही प्रेरणा का स्त्रोत है। निरुद्देश्य तथा प्रयोजन-[illegible] के अन्दर मानसिक शिथिलता लाते हैं। अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि वह पाठ के उद्देश्य को बालकों की [illegible] बनाने का प्रयास करे।

4. छात्रों की व्यक्तिगत-विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण देना–जिस प्रकार शारीरिक रूप से कोई दो [illegible] होते, उसी प्रकार उनमें मानसिक समानता भी नहीं होती। उनकी बुद्धि, रुचि, मूल प्रवृत्तियाँ और योग्यताएँ विभिन्न [illegible] विद्यार्थी की इन विभिन्नताओं को समक्ष रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को एक अलग इकाई [illegible] सफल हो सकता है। यह तभी संभव है जब कक्षाएँ छोटी हों।

5. बालकों को भली-भाँति समझना (To understand the children properly)–अध्यापक [illegible] विषय-सामग्री या किसी और बात का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि विद्यार्थियों का होता है। सीखना विद्यार्थियों [illegible]

6. उपयुक्त सीखने के अनुभवों की व्यवस्था करना (To make arrangement to learn proper [illegible] experiences)–जैसी खाद्य-सामग्री होगी उसी के अनुरूप उसको खाने या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट [illegible] प्रकार बालकों को जैसे–अधिगम अनुभव दिये जाएँगे उनकी महत्ता, उपयोगिता तथा बालकों की दृष्टि से उपयुक्त [illegible] बनाकर उतनी ही मात्रा में बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-वस्तु का [illegible] तथा आयोजन किया जाना चाहिए कि छात्र उसे पढ़ने के लिए आतुर हों तथा उनका पाठ्य-पाठन में पर्याप्त उत्साह [illegible]

7. प्रभावशाली तथा रुचिकर साधनों का प्रयोग करना (To use effective and interesting [illegible] को प्रभावशाली बनाना भी आवश्यक है। बालकों की निष्क्रियता को दूर करने, विषयों को स्पष्ट करने तथा उन्हें [illegible] रुचिकर बनाने के लिए सफल अध्यापक श्यामपट्ट, चार्ट और मॉडल आदि का प्रयोग करता है। सहायक-सामग्री [illegible] छात्रों का ध्यान पाठ्य-विषय पर सरलता से केन्द्रित किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा इनका उचित उपयोग [illegible] व सरल बना देता है।

8. उपयुक्त शिक्षण-विधियों, तकनीक एवं सहायक सामग्री का प्रयोग (Use of proper teaching methods, techniques and aids)–शिक्षक के पढ़ाने के ढंग पर बहुत निर्भर करता है। एक अच्छा अध्यापक अपने विषय, शिक्षण-परिस्थितियों तथा बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार विधियों एवं तकनीकों को अपनाता है, जिससे लापरवाह से लापरवाह बच्चे को पढ़ने के प्रति आकर्षित किया जा सके और उसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से साझीदार बनाया जा सके। नवीन शिक्षण-विधियों, मनोवैज्ञानिक नियमों, शिक्षण-तकनीकों एवं उपयुक्त सहायक-सामग्री का प्रयोग इस दिशा में अध्यापक की काफी सहायता कर सकता है। अतः अध्यापक को इनका भली-भांति उपयोग करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

9. विद्यालय में समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन (To organise competitions in the school time to time)–अध्यापक द्वारा किसी भी बालक के व्यवहार को अभिप्रेरित करने में प्रतियोगिता के आयोजन से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों स्तरों पर भी हो सकता है। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने की इच्छा जगाने तथा दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने से लेकर, अपनी कक्षा या विद्यालय को किसी भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही बालक के दिमाग में प्रेरणा जागती है। अध्यापकों द्वारा प्रतियोगिताओं के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय की पाठान्तर-क्रियाओं के संगठन में उचित स्थान देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने में उन्हें इस बात का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना ही विकसित हो।

10. कक्षा में पाठों को उचित क्रम से पढ़ाना (To teach the lessons in the class in proper sequence)–छात्रों को सरल पाठों को पहले पढ़ाया जाना चाहिए। कठिन पाठों या समस्याओं की ओर छात्रों का धीरे-धीरे आगे होना ही उचित है, क्योंकि कठिन पाठ में बालकों की रुचि एकदम उत्पन्न नहीं होती है। धीरे-धीरे बालक मानसिक रूप से कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और विषय में भी उनकी रुचि बढ़ जाती है। अतः पाठों को इस क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए कि सरल और छोटे पाठ पहले और कठिन तथा लम्बे पाठ बाद में पढ़ाए जाएँ, ऐसा करना अध्यापक के कार्य को आसान बना देता है तथा इससे बालकों को भी सीखने में सरलता होगी।

11. छात्रों के आत्म-सम्मान तथा अहं की तुष्टि पर ध्यान देना–यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है अथवा यह वस्तु मेरे द्वारा बनाई गई है, इस तरह की भावना जिसमें व्यक्ति के अहं की तुष्टि होती है, व्यक्ति को पर्याप्त ढंग से अभिप्रेरित रख सकती है। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, जिनमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में इस तरह लगा दिया जाए कि वे उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें।

12. अध्यापक का प्रभावशाली बोलने का ढंग (Effective speaking ability of the teacher)–ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए अध्यापक के बोलने का ढंग विशेष महत्त्व रखता है। उसे अभिनेता की तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए।

13. पारितोषिक और दंड विधि (Reward and punishment method)–पारितोषिक और दंड दोनों ही बालक को सीखने के लिए बाध्य करते हैं। इनाम पाने की लालसा में बालक अधिक चेष्टा करेगा। इसके विपरीत दंड से बचने के लिए भी सीखने का प्रयास करना होगा। मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर पारितोषिक देना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, जबकि दंड देना अधिक प्रेरणात्मक सिद्ध नहीं हुआ तथा इससे बालक का उत्साह घटता है। अतः कठिन कार्य में सफलता प्राप्ति पर बालकों को पुरस्कार देना बालकों को प्रेरित करने का कार्य करता है। कभी-कभी प्रशंसा के शब्द ही पुरस्कार तथा उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं।

14. विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन (To organise different type of competions in the school)–कक्षा में वाचन, कविता-पाठ सामग्री तैयार करने में स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे बालक सीखने में सचेत रहते हैं और अधिक उत्साह दिखाते हैं। कार्य को पूरा करने तथा आगे बढ़ाए जाने की प्रवृत्ति उनके लिए प्रेरणा का साधन बनती है। परन्तु ये प्रतियोगिताएँ यदि सामूहिक रूप में हों तो अच्छा होगा। दो बालकों में व्यक्तिगत प्रतियोगिता अधिक उपयोगी नहीं रहती इससे बालकों में कभी-कभी दुश्मनी और वैमनस्य की भावना बढ़ जाती है।

15. छात्रों में अच्छी आदतों को विकसित करना (To develop good habits among the students)–बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के कार्य में स्वस्थ आदत भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक तथा मानसिक रूप

से सजग एवं स्वस्थ बालक पढ़ने में पर्याप्त रुचि दिखाते हैं। इसी तरह संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से भली-भाँति सन्
बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सुविधा होती है। ठीक समय पर सोना, जागना, नियमित खान-पान, उचित
पढ़ने-लिखने की उपयुक्त आदत आदि सभी बच्चे की अभिप्रेरणा कार्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः बालकों को
अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ एवं वाँछनीय आदतों के विकास पर शुरू से ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

16. सफलता और असफलता (Success and failure)–कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए
और असफलता की भी प्रमुख भूमिका होती है। विद्यार्थी जिस कार्य में असफलता प्राप्त करता है, उस काम को करने
अभिप्रेरित होता है। कई बार असफलता भी बालक में सफलता के लिए शक्ति का संचार करती है। अतः अध्यापक
में सफलता और असफलता भी महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरणा की प्रविधि के रूप में प्रयोग की जा सकती है।

17. नवीनता (Novelty)–नवीनता अभिप्रेरणा के लिए एक आवश्यक प्रविधि के रूप में कार्य कर सकती है।
अध्यापक द्वारा नवीनता का प्रदर्शन विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए काफी सहायक सिद्ध होता है। विशेषकर छोटे
की कक्षाओं में अध्यापक अपने शिक्षण-कार्य में नवीनता लाकर बच्चों को अभिप्रेरित कर सकता है।

18. प्रभावशाली व रुचिपूर्ण शिक्षण-विधियाँ (Effective and interesting teaching methods)–प्रभा
शिक्षण-विधियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को देखकर अध्यापक को अपनी शिक्षण-विधियों का चुनाव करना चाहिये। अध्यापक
आधुनिक शिक्षण-विधियों का भी कक्षा में प्रयोग करना चाहिये।

19. छात्र की रुचियों की पर्याप्त जानकारी (Adequate knowledge about child's interest)–विद्या
के व्यवहार को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी रुचियों का ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थी जिस कार्य में अधिक रुचि लेता
उसमें उसको अधिक सफलता मिलेगी। इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों की रुचियों की पहचान करके उन्हीं के अनुसार
शिक्षण कार्य निर्धारित करें।

20. बाल-केन्द्रित शिक्षा पर जोर देना (Emphasis on child centred education)–बाल-केन्द्रित शिक्षा
विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है। शिक्षा बच्चे के लिए हो, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। जो कुछ भी बच्चों
सिखाया जाए वह उनकी योग्यताओं, रुचियों, बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिय।

21. अध्यापक और विद्यार्थी के मधुर सम्बन्ध (Healthy relationship between student and teacher–
अध्यापक और विद्यार्थियों के अच्छे सम्बन्ध भी बच्चों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों
प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सत्कार करना चाहिए। अध्यापक की यह भा
बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देगी।

22. छात्र के परिणामों एवं उन्नति का ज्ञान (Knowledge about progress and results of students
–सभी विद्यार्थी अपने कार्यों के परिणाम जानना चाहते हैं। वे परिणाम ही उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। अभिप्रेरणा को सफल
के लिए विद्यार्थियों को समय-समय पर उनकी प्राप्तियों के परिणाम से अवगत कराना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उनके
किए गए कार्य के गुण एवं त्रुटियों का ज्ञान होता है।

23. गृह कार्य (Home work)–घर के लिए दिया गया कार्य बिल्कुल साफ और प्रत्यक्ष हो ताकि बच्चों और अध्यापक
को उसका उद्देश्य मालूम हो। अध्यापक गृह कार्य देते समय इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि यह बालकों की क्षमता से
न हो। ज्यादा अच्छा यह है कि गृह कार्य में दी गई समस्याओं के कठिन पक्षों का मौखिक रूप से कक्षा में विश्लेषण कर
जाए। अतः उचित ढंग से दिया गया गृह कार्य बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है।

24. रुचियाँ (Interests)–विद्यार्थियों के व्यवहार को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी रुचियों का ज्ञान आवश्यक
विद्यार्थी किस कार्य में अधिक रुचि लेता है उसमें उसको अधिक सफलता मिलेगी। इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि
की पहचान करके उन्हीं के अनुसार अपना शिक्षण कार्य निर्धारित करे।

25. दृश्य-श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग (Use of audio-visual aids)–दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग से
एक अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में चार्ट, ग्लोब, रेडि
टेलीविजन आदि का प्रयोग करें। इनके द्वारा जटिल कार्य को सरल बनाकर विद्यार्थियों की रुचि को विकसित किया जा सकता
26. बालकों को स्पष्टता व सरलता से समझाना–अगर किसी विषय को अध्यापक स्पष्टता व सरलता से समझाता है
उस विषय में उसकी रुचि पैदा हो जाती है। उदाहरणार्थ पहली कक्षा के बालक को अंग्रेजी विषय समझाते हुए ***English***

English पढ़ायेंगे तो बालकों की समझ में नहीं आयेगा और उनकी रुचि भी पैदा नहीं होगी। अगर इसी विषय को उनकी रुचि के अनुसार यानी अगर *E for Elephant* सिखाना है तो हाथी की सूंड की तरह अपना हाथ उठाकर उसकी तरह आवाज निकालकर, हाथी का चित्र दिखा रुचिपूर्ण बना उनका ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। अतः हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि सीखना विद्यार्थियों को होता है। अतः उनकी रुचि अभिरुचि, योग्यताओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर विषय को रुचिकर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

27. छात्रों को क्रियाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना–बालकों की क्रिया में जन्मजात रुचि होती है। साधारण बालक अधिक देर तक शांत व निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। अगर शिक्षक अधिक समय तक मौखिक-ज्ञान प्रदान करता है और बच्चों को शांत देखकर सोचता है कि उसका शिक्षण कार्य सफल है तो वह गलती पर है। मौखिक-ज्ञान थोड़े समय के लिए बालकों का ध्यान केन्द्रित कर सकता है। बालकों को क्रिया द्वारा सिखाया गया ज्ञान ही स्थायी व उपयोगी होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों ने बहुत-सी क्रिया-प्रधान नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ प्रस्तुत की हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि, बेसिक शिक्षा, मांटेसरी विधि आदि। अतः अध्यापक को इनका ज्ञान होना चाहिए ताकि वह क्रियाओं द्वारा अपना शिक्षण प्रभावशाली बना सके।

28. नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करना–किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले अध्यापक को चाहिए। वह इस बात का पता लगाये कि क्या बालक इस सम्बन्ध में पहले से ही कुछ जानते हैं या नहीं। इस पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर ही नवीन अधिगम-सामग्री *(Learning material)* बालक के सामने रखी जानी चाहिए। ऐसा करने पर बालक को उस पाठ को समझने में शंका, भय या झिझक नहीं होती और वे उसको अधिक रुचि व उत्साह से समझते हैं।

◆◆◆

4. अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकारों तथा अभिप्रेरित सीखने में पुरस्कार एवं दंड की भूमिका की विवेचना कीजिए।

अथवा

अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? इसके मुख्य प्रकारों तथा अभिप्रेरित सीखने में पुरस्कार एवं दण्ड के लाभों तथा हानियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–आज जीवन के हर क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्त्व अत्यधिक बढ़ चुका है। अभिप्रेरणा की कमी के कारण प्रत्येक क्षेत्र में असन्तोष की भावना प्रबल होती जा रही है। बालकों की अभिप्रेरणा अध्यापक के लिए एक ऐसी ही समस्या है, जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है। सीखने के क्षेत्र में अभिप्रेरणा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अभिप्रेरणा को 'सीखने का हृदय' *(Heart of learning)* 'सीखने की सुनहरी सड़क' *(Golden road of learning)* भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा के अन्य पक्षों का अध्ययन करने से पहले इसके अर्थ स्पष्ट करना अति आवश्यक है–

अभिप्रेरणा के अर्थ (Meaning of Motivation)—मनुष्य के व्यवहार को संचालित करने वाली स्वाभाविक तथा जन्मजात प्रवृत्ति प्रेरक नाम से स्पष्ट हो जाती है कि अभिप्रेरणा अथवा प्रेरक *(Motives)* एक ऐसी अन्तः प्रवृत्ति है जो मनुष्य को कार्य के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य को जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक बनाए रखती है। अभिप्रेरणा के तीन कार्य होते हैं–प्राणी में क्रिया की उत्पत्ति करना, उस क्रिया को बनाए रखना तथा जब तक वह उद्देश्य न मिल जाए तब तक उसको बनाए रखना। अतः अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह आन्तरिक शक्ति है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को सम्पन्न करता है।

'Motivation' शब्द *'Movere'* शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है शक्ति 'गति करना' *(To move)* यह वह है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने, उन्नति को कायम रखने, कार्य के नमूने को नियमित करने तथा व्यक्ति को व्यवहार करने की दिशा देने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पढ़ाई तथा अन्य कार्यों को करने के लिए रुचि पैदा करना तथा उनमें नया जोश भरने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा के अर्थ स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

लॉविल के अनुसार, **"अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आन्तरिक प्रक्रिया है, जो किसी आवश्यकता से प्रेरित होती है, जो प्रक्रिया को संचालित करती है एवं जो उस आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।"** *("Motivation may be defined move formally as a psychological or internal process initiated by some need, which lead the activity and which will satisfy that need."*—**Lovell)**

अभिप्रेरणा का वर्गीकरण *(Classification of Motivation)*

शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्त्व अत्यधिक है। इसलिए मनो-वैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से अभिप्रेरणा वर्गीकरण किया है। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. थामसन द्वारा किया गया वर्गीकरण–एम. के. थामसन (M.K. Thomson) ने अभिप्रेरकों को दो भागों में वि किया है–

(1) प्राकृतिक अभिप्रेरक (Natural motives)–ये वे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में पाये जाते भूख, प्यास, सुरक्षा आदि अभिप्रेरकों से मानव जीवन का विकास होता है।

(2) कृत्रिम अभिप्रेरक (Artificial motives)–ये वे अभिप्रेरक होते हैं जो वातावरण में विकसित होते हैं। इन आधार तो प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं, परन्तु सामाजिकता के आवरण में इनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है। समाज में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सामाजिक सम्बन्ध बनाना आदि।

2. मैसलो (Maslow) द्वारा किया गया वर्गीकरण–मैसलो का मत तथा उनके द्वारा किया गया अभिप्रेरकों का वर्गी शिक्षा में पर्याप्त महत्त्व रखता है। उसने आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया है। मैसलो ने आवश्यकताओं की तीव्रता को पर बनाया है। कुछ आवश्यकतायें ऐसी होती हैं जो बाद में फुर्सत के समय पूरी की जा सकती हैं। उदाहरणार्थ भूखा व्यक्ति अपने भोजन की व्यवस्था करता है। भूख मिट जाने के पश्चात् वह सुरक्षा या अन्य किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्रम आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर बनता जाता है।

मैसलो ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बाँटा है–1. जन्मजात अभिप्रेरक *(Inborn motives)*—इसके अन्तर्गत भू प्यास, सुरक्षा, यौन *(Sex)* आदि आ जाते हैं। 2. अर्जित *(Acquired)*—इसके अन्तर्गत वातावरण से प्राप्त अभिप्रेरक आते इनको भी उसने सामाजिक तथा व्यक्तिगत *(Social and individual)* भागों में बाँटा है। सामाजिक अभिप्रेरकों के अन्त सामाजिकता, युयुत्सा *(Combat)* और आत्मस्थापना *(Self assertion)* एवं व्यक्तिगत अभिप्रेरकों में आदत, रुचि, अभि तथा अचेतन अभिप्रेरक आते हैं।

3. क्रैच (Krach) एवं क्रचफील्ड (Cruchfield) द्वारा किया गया वर्गीकरण–इस वर्गीकरण का आधार अभि की न्यूनता *(Deficiency)* तथा अधिकता *(Abundancy)* है।

(1) न्यूनता (Deficiency) अभिप्रेरक–ये अभिप्रेरक मानव के अभाव तथा कमियों को दूर करने में सहायक हैं। इनके द्वारा मानसिक संघर्ष दूर किया जा सकता है। क्रैच एवं क्रचफील्ड के अनुसार–**'न्यूनता का अभिप्रेरक आवश्यकता से सम्बन्धित है जिनके द्वारा चिन्ता, डर, धमकी या और कोई मानसिक द्वन्द्व दूर हो जाता है।'** इसका ध्येय मानव का सं रहना तथा सुरक्षा प्राप्त करना है।

(2) अधिकता (Abundancy) अभिप्रेरक–इन अभिप्रेरकों का ध्येय सन्तोष एवं उत्साह है, **क्रैच एवं क्रचफील्ड** अनुसार–**'अधिकता के अभिप्रेरक का उद्देश्य सन्तोष प्राप्ति, सीखना, अवबोध, अन्वेषण तथा अनुसन्धान, रचना एवं प्राप्ति है।'**

अभिप्रेरणा के अन्य प्रकार *(Other Types of Motivation)*

अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है–

(1) प्राकृतिक प्रेरणा, अंतर्निहित या प्राथमिक अभिप्रेरणा

(2) बनावटी, द्वितीयक या बाह्य अभिप्रेरणा।

(1) प्राकृतिक प्रेरणा, अंतर्निहित या प्राथमिक अभिप्रेरणा (Natural Motivation, Intrinsic Motivation or Primary Motivation)—प्राकृतिक या अंतर्निहित या प्रधान अभिप्रेरणा व्यक्ति की जन्म-जात रुचियों पर निर्भर है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं–

1. शारीरिक अभिप्रेरणा (Physiological motivation)–शारीरिक आवश्यकताएँ यथा भूख, प्यास, लिंग शारीरिक अभिप्रेरणाएँ कहलाती हैं।

2. स्वाभाविक अभिप्रेरणा (Natural motivation)–मूल प्रवृत्तियाँ जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जन्मजात रखती हैं। ये हमारे व्यवहार की मुख्य चालक हैं। ये हमें कुछ कार्य करने के लिए उभारती हैं। जब तक मनुष्य की संतुष्टि हो जाती वह बेकरार रहता है। इसलिए इनका शिक्षा में बहुत महत्त्व है। यह अध्यापकों का कार्य है कि वे विद्यार्थियों के लि अच्छे वातावरण का प्रबन्ध करें।

अभिप्रेरित सीखने में पुरस्कार के लाभ (Advantages of Rewards in Motivated learning

(i) सुहावने होने के कारण वे रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करते हैं।

(ii) यह अहं-भावना को संतुष्ट करते हैं और उच्च नैतिकता को विकसित करते हैं।

(iii) वे सुहावने सम्बन्धों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे वांछित क्रिया को दोहराने में सहायता मिलती है।

अभिप्रेरित सीखने में पुरस्कारों की हानियाँ (Demerits of rewards in motivated learning)

(i) इनसे बिना किसी कारण के किसी चीज की आशा करने की गलत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

(ii) इनसे धोखे की प्रवृत्ति को प्रलोभन मिलता है।

(iii) ये विद्यार्थी में किसी चीज के प्रति रुचि उत्पन्न करने की बजाय उसे केवल पुरस्कार जीतने की बाहरी प्रदान करते हैं।

(iv) औसत स्तर के अधिकांश विद्यार्थी पुरस्कार के प्रति जीवन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते।

4. दंड (Punishment)–दण्ड एक निषेधात्मक अभिप्रेरणा है। इसका आधार असफलता का भय, शारीरिक भय, दिमागी कोलाहल का भय, सम्मान खो बैठने का भय आदि होते हैं। यह एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है। यह बच्चे व्यवहार का कारण बन सकता है। परन्तु अत्यधिक दंड पहल करने की शक्ति, लीडरशिप तथा साधन पूर्णता का अन्त क इसके कारण स्वतन्त्र सोचने तथा कारनामों की भावना जाती रहती है। यह विद्यार्थियों को मशीनी खिलौने बना देती है, बातों को बिना समझे रट लेते हैं। इसलिए अध्यापकों तथा माता-पिता को दंड का न्यायपूर्वक प्रयोग करना चाहिए।

दंड के लाभ (Advantages of Punishment)–

(i) ये प्रायः 'अवरोधक' के रूप में काम करते हैं।

(ii) ये अनुशासन के रूप में काम करते हैं।

(iii) ये विशिष्ट रूप से उपयोगी हैं यदि–

(क) ये अवांछित क्रिया का प्राकृतिक परिणाम हों।

(ख) इन्हें पुरस्कार के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जाए।

(ग) यदि बच्चे को यह बात अनुभव करा दी जाए कि दंड उसे नहीं बल्कि अवांछित कार्य को मिल रहा है।

इसके परिणाम प्रभावशाली रहे हैं। इसलिए अध्यापक बच्चों में मुकाबले की रुचि पैदा करे। यह व्यक्ति के मध्य भी सकती है और दलों या टोलियों के मध्य भी।

प्रतियोगिता के लाभ (Advantages of competition)–

(i) यह जीवन को स्फूर्ति एवं सार्थकता प्रदान करता है।

(ii) यह स्वीकारात्मक है और बुनियादी इच्छा को संतुष्ट करता है।

(iii) यह बुद्धि, विकास तथा परिपक्वता को प्रेरित करता है।

(iv) यह नैतिकता का निर्माण करता है और अहं-भावना को संतुष्ट करता है।

(v) यह आत्म-परिष्कार की ओर भी अग्रसर कर सकता है, क्योंकि प्रतियोगिता दूसरों के साथ भी होती है और अप साथ भी।

7. सहयोग की भावना पर बल देना (Emphasis on cooperative feeling)–मुकाबला कई बार राष्ट्रीय त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तथा झगड़ों का कारण बनता है। इसलिए यदि हम आने वाली पीढ़ी को कर्म तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझ क पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो मुकाबले की अपेक्षा सहयोग पर अधिक बल देना चाहिए। परन्तु यदि मुकाबले का प्रयोग करना हो तो उसे टोली के स्तर पर प्रयुक्त किया जाए, क्योंकि जब टोलियों के बीच मुकाबला होगा तो उनमें टीम-भावना आ जाएगी।

8. छात्रों के कार्य का उचित मूल्यांकन करना (Proper evaluation of students' work)–अच्छा सीखने के लिए स्कूल के कार्य का उचित मूल्यांकन एक प्रभावशाली अभिप्रेरणा बन सकता है। यह ठीक है कि कुछ दोषों के होते हुए भी परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली विद्यार्थियों को कार्य करने की अभिप्रेरणा देती है। शिक्षा की आपत्तियाँ तथा पढ़ाई पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों को वांछित मार्ग पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार सीखने में सहायता देती है।

9. श्रवण-दृष्टि से सम्बन्धित सहायता (Help related to Audio-point of view)–श्रवण-दृष्टि सहायता जैसे–सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, प्रयोगशाला तथा वर्कशाप आदि अभिप्रेरणा के लिए सहायक हैं। इसलिए इन्हें स्कूल की पढ़ाई में प्रयोग करना चाहिए।

10. अध्यापक-विद्यार्थी सम्बन्ध का महत्त्व (Importance of teacher-pupil relationship)–अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मध्य गहरे सम्बन्ध बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण तथा प्रेम-पूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह बच्चे के व्यक्तित्व का सत्कार करे। अध्यापक इस भावना द्वारा स्कूल की पढ़ाई के लिए अभिप्रेरणा देकर महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है।

◆◆◆

8.2 अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Motivation)

5. अभिप्रेरणा से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिये। (What do you mean by Motivation? Discuss about the main factors affecting motivation.)

अथवा

अभिप्रेरणा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिये। (Clarifying the mean of motivation explain about the main factors affecting motivation.)

उत्तर–अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के शब्द 'मोटीवेशन' *(Motivation)* का हिन्दी रूपांतर है। इस अंग्रेजी शब्द मोटीवेशन *(Motivation)* की उत्पत्ति 'मोवियर' *(Movere)* से हुई है, जिसका अर्थ है–हलचल करना या कार्य करने के लिए उकसाना। *(To move or incite to action.)* अर्थात् इसका अर्थ यह हुआ कि उन बलों का अध्ययन करना जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करते हों। व्यवहार के 'क्यों' *(Why)* पक्ष का अध्ययन किया जाता है।

अभिप्रेरणा एक उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यवहार के निर्धारण से जुड़ी होती है। *(Motivation is a hypothetical process involved in the determination of behaviour.)* अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है।

जेम्स ड्रीवर (James, Drever, 1968) के अनुसार, **"अभिप्रेरणा एक भावात्मक-क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है।"**

(Motivation is an affective-conative factors which operates in determining the direction of an individual behaviour towards an end or goal consciously apprehended or unconscious.—**James Drever, 1968)**

मैककोनल (Mc Connel) के अनुसार, **"सीखने के लिए शक्ति को अवश्य ही अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया को नया जीवन देती है। एंडरसन (Anderson) ने अभिप्रेरणा के महत्त्व को बताते हुए कहा है कि सीखने की गति सर्वोत्तम रहेगी यदि वह अभिप्रेरित हो।"**

(Learning will proceed best if motivated.) मेल्टन *(Melton)* ने भी अभिप्रेरणा को सीखने के लिए एक आवश्यक शर्त बताया है। *(Motivation is an essential condition of learning.)*

ई. जी. बोरिंग (E. G. Borning, 1948) ने अभिप्रेरणा के विस्तृत अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभिप्रेरणा की समस्या उन शक्तियों को निर्धारण करने की है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करती है।

(The problem of motivation is te problem of determining the forces which imple or incite all living organisms to action.—**E.G. Boring, 1948)**

एन. एच. मन (N.H. Munn) के अनुसार बाहरी या आंतरिक वस्तु जो कोई क्रिया प्रारंभ करने में पहल करें या इसमें सहायता दे, अभिप्रेरणा है।

(Anything that initiates activity, whether internal or external, is motivation.)

जोहन पी. और विलियम क्राफोर्ड (**John P. Dececco** *and* **William Crawford, 1977**) के अनु "अभिप्रेरणा का संबंध उन कारकों से है जो व्यक्ति की क्रिया का बल बढ़ाते हैं या घटाते हैं।"

*(Motivation refers to those factors which increase or decrease the vigour to an individu activity.—***John P. Dececco and William Crawford, 1977***)*

शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अभिप्रेरणा शब्द प्रायः 'प्रयत्न' *(Effort)* या 'प्रयास' के रूप में पुकारा है।

लिंडग्रेन और फिस्क (**Lindgren and Fisk**) ने अभिप्रेरणा को व्यवहार का उत्पादक *(Originator of Behavio* कहा है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की क्रियाओं का बल और निर्देशन *(Energy and Direction)* प्रदान करती है।

शिक्षा परिभाषा कोष के अनुसार, "शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा छात्र को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करना रुचि उत्पन्न करना है।"

(Motivation is to incite and to create interest in the desirable task.)

जॉनसन (**Johnson**) के अनुसार, "अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है, जो मानव के व्यवहार को उ मार्ग पर ले जाता है।"

(Motivation is the influence of general pattern of activities indicating and directing t behaviour of the organism.— **Johnson***)*

वुडवर्थ (**Woodworth**) ने भी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा की सहायता लेते हुए कहा है, "अभि ा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है।"

*(A motive is a state of the individual which dispose him for certain behaviour and f seeking certain goal. —***Woodworth***)*

मैक्डूगल (**Mc Dougall**) के अनुसार, "अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएँ हैं जो किसी कार्य को क के लिए प्रेरित करती हैं।"

(Motives are conditions, physiological and psychological, within the organism that dispos it to act in certain ways. — **Mc Dougall***)*

एम. के थामसन (**M. K. Thomson**) के शब्दों में, "अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव-व्यवहार के प्रत्ये प्रतिकारक को प्रभावित करती है, जैसे अभिवृत्ति, आधार, इच्छा, रुचि, प्रणोदन, तीव्र इच्छा आदि जो उद्देश्यों से संबंधित होती हैं।

*(Motivation covers any and every factor of the springes of human action from the beginin to the end i.e. attitudes, bias urges, impulse, drive, craving incentives, desires, wish, interest will, intention, longing and aims. —***M.K. Thomson***)*

जे. पी. गिलफोर्ड (**J. P. Guilford**) ने भी कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के संबंध में अभिप्रेरणा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है–"अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाये रखने में प्रवृत्त होती है।"

*(A motives is any particular internal factor or condition, that tends to initiate and to Sustain activity. —***J. P. Guilford***)*

बर्नार्ड (**Bernard**) के अनुसार, "अभिप्रेरणा द्वारा उन विशिष्ट उद्देश्यों की ओर क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, जिन उद्देश्यों के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं होता।"

*(Motivation is the stimulation of action towards a particular objective where previous there was little or no attaction to the goal.—***Bernard***)*

एटकिन्सन (**Atkinson, 1964**) के अनुसार, "अभिप्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करती है।"

*(The term motivation refers to the arousal of a tendency to act to produce one or more effects.—***Atkinson, 1964***)*

इस प्रकार अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित दो मत उभर कर सामने आते हैं–

(a) अभिप्रेरणा व्यवहार को ऊर्जा या बल *(Energies)* प्रदान करती है तथा व्यवहार को निर्देशित *(Direct)* भी करती है। *(Motivation is an activating force that energies the organism and directs a specific behaviour towards a particular goal. —* **Snod grass***)*

इसके अतिरिक्त हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि,

1. व्यवहार को किसने सक्रिय किया?
2. यह कैसे निर्देशित हुआ?
3. इसका लक्ष्य क्या है?

न्यूकाम्ब (Newcomb) के अभिप्रेरणा को इस प्रकार परिभाषित किया–**"अभिप्रेरणा जीव की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक शक्ति संचालित होती है और चयनात्मक ढंग से परिवेश के कुछ भागों की ओर निर्देशित होती है।"** *(Motivation refers to the state of the organism in which bodily energy is mobilized and selectively directed towards some part of the environment.)*—**Newcomb**

किम्बल (Kimble) के अनुसार, **"अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यवहार को ऊर्जा तथा लक्ष्य प्रदान करता है।"** *(Motivation may be defined as the process that gives behaviour its energy and its goals.* **—Kimble)**

(b) द्वितीय मत के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहारों को केवल उत्तेजित करती है और अधिगम व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। पी. टी. यंग *(P.T. Young, 1961)* के अनुसार, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, इस कार्य की प्रगति को बनाये रखने तथा इसे नियमित *(Regulated)* करने का कार्य करता है।

अभिप्रेरणा की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लावेल *(Lovell)* ने आवश्यकताओं *(Needs)* का अभिप्रेरण में विशेष महत्त्व बताया है। उसके अनुसार, अभिप्रेरणा मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं से आरंभ होती है, जो किसी क्रिया को जारी रखती है और जिससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है।

(Motivation is defined more formally as a phycho-physiological or internal process initiated by some needs which lead to activity which will satisfy that need. **—Lovell)**

इसी प्रकार, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन *(Blair, Jones and Simpson)* ने भी 'आवश्यकताओं' को अभिप्रेरणा का स्रोत मानकर अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा है, **"अभिप्रेरणा वो प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी या सीखने वालों की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ अपने वातावरण में विभिन्न लक्ष्य-पदार्थों की ओर निर्देशित होती हैं।"**

(Motivation is a process in which the learners internal energies or needs are directed towards various goals objects in his environment.—**Blair, Jones and Simpson)**

गुड (Good) के अनुसार, **"अभिप्रेरणा क्रिया को प्रोत्साहित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है।"** *(Motivation is the process or arousing, sustaining and regulating activity.*—**Good)**

अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Motivation)–डिसिको और क्राफोर्ड *(Dececco and Crawford)* ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँटा है–

1. उत्तेजना *(Arousal)*
2. आकांक्षा *(Expectancy)*
3. प्रोत्साहन या प्रलोभन *(Incentive)*

1. उत्तेजना (Arousal)–उत्तेजना से अभिप्राय व्यक्ति की सामान्य जागृति और अनुक्रियात्मकता *(Responsiveness)* से है। डिसिको और क्राफोर्ड के अनुसार उत्तेजना किसी व्यक्ति के जोश की सामान्य स्थिति का वर्णन करती है। *(Arousal describes the general state of excitability of an organism)*

हैब *(Habb, 1955)* के अनुसार उत्तेजना शक्ति संचालक है, न कि निर्देशक। *(Arousal is an energizer but not a guide.)*

2. आकांक्षा (Expectancy)–वरूम *(Vroom, 1964)* के अनुसार आकांक्षा वह तात्कालिक विश्वास है कि किसी विशेष कार्य से कोई विशेष परिणाम अवश्य निकलता है। *(Expectancy is a momentary belief that a particular outcome will follow a particular act.* **—Vroom, 1964)**

कितने कार्य की हम उपेक्षा करते हैं और वास्तव में हम कितना कार्य कर पाते हैं–यही अंतर हमारी उत्तेजना का कारण बनता है। अतः आकांक्षा उत्तेजना का स्रोत है।

3. प्रोत्साहन या प्रलोभन (Incentives)–प्रोत्साहन वास्तविक लक्ष्य पदार्थ होते हैं। *(Incentives are actual goal objects.)* ये प्रोत्साहन कुछ उद्दीपनों के साथ संबंधित होते हैं जो व्यक्ति में उत्तेजना उत्पन्न करके किसी कार्य की ओर

अभिप्रेरित करते हैं। व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकृति का प्रोत्साहन है। **बी. एफ. स्किनर (B. F. Skinner)** के अनुसार, **"पुनर्बलन (Reinforcement) भी प्रोत्साहन होता है। से व्यक्ति के व्यवहार में बल (Vigour) आता है। प्रोत्साहन का संबंध बाहरी वातावरण से होता है।"**

उत्तेजना, आकांक्षा और प्रोत्साहन *(Arousal, Expectancy and Incentives)* में संबंध स्थापित किया सामान्यतः उत्तेजना पूर्व ज्ञान आकांक्षाओं का ही परिणाम होती है। *(Arousal is a product of learned expecta* पूर्व अनुभव के आधार पर हम किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष अनुक्रिया *(Response)* द्वारा हम उद्देश्य प्राप्त कर

उपरोक्त बताये गए कारकों के अतिरिक्त अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक और भी हैं–

1. संवेगात्मक स्थिति (Emotional Stage)–व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिति भी उनकी अभिप्रेरणा-क्षमता को करती है। अतः संवेगों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है।

2. रुचि (Interest)–जिस कार्य में व्यक्ति रुचि दिखाता है, उसे वह जल्दी सीख लेता है और जो उसे अरुचिक है उस कार्य को वह शीघ्र नहीं सीख पाता। अतः व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी रुचि को अवश्य ध्यान में रख

3. आवश्यकताएँ (Needs)–मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से व्यक्ति कार्य करने के लिए अभिप्रेरित अतः उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना अति आवश्यक है। आवश्यकताएँ पूरी होने पर व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति में रहती है।

4. प्रतियोगिता (Competition)–प्रतियोगिता भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करने में सफल सिद्ध हुई है। से व्यक्ति में परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरणा पैदा होती है। प्रतियोगिताएँ वैयक्तिक *(Individual)* या सामूहिक क सकती हैं।

5. भय (Fear)–कई बार किसी प्रकार का भय अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। जैसे–असफलता या हानि इस प्रकार के भय के अधीन रहकर मनुष्य अधिक कार्य करने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है।

6. आकांक्षा का स्तर (Level of Aspiration)–कई परिस्थितियों में आकांक्षा का स्तर भी अभिप्रेरणा प प्रभाव डालता है। आकांक्षा का उच्च स्तर व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित करता है और निम्न स्तर अभिप्रेरणा होती है।

7. मूल्यांकन (Evaluation)–विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन भी अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में सहायक होता है विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन का परिणाम अवश्य बताना चाहिए।

8. स्कूल (Schools)–अभिप्रेरणा के लिए स्कूल की अलग ही भूमिका होती है। स्कूल का वातावरण विद्य अभिप्रेरणा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।

9. परिचर्चा और सम्मेलन (Seminars and Conferences)–परिचर्चाएँ और सम्मेलन एक प्रकार की स क्रियाएँ हैं यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यक्ति समूहों में रहकर अधिक सीखता है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए परिचर्चा सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए।

10. पुरस्कार और दंड (Reward and Punishment)–पुरस्कार और दंड व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार में करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरस्कार और दंड का प्रभाव, इनके प्रयोग के पीछे उद्देश्यों पर आधारित है। पुरस्क 'लालच' या 'लाभ' के रूप में नहीं देखना चाहिए। पुरस्कारों का सबसे अधिक लाभ अभिप्रेरणा के रूप में होता है। इनसे का मनोबल ऊँचा उठता है तथा उसे संतोष एवं आनन्द की अनुभूति होती है।

पुरस्कार के साथ-साथ दंड की व्यवस्था का उद्देश्य भी अभिप्रेरणा पर केंद्रित होता है। लेकिन आज के मनोवैज्ञानिक दंड को उचित नहीं माना जाता। दंड देने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई पक्षों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे–बुद्धि, आयु आदि। दंड का भय व्यक्तियों के व्यवहार में सुधार लाने की अभिप्रेरणा को जाग्रत करता है। लेकिन कई बार दंड का हानिकारक सिद्ध होता है। दंड की अनुभूति दुखद होती है। दंड के परिणाम भी अस्थाई होते हैं। कई बार दंड के प्रभाव से विद्रोही प्रकृति का बन जाता है तथा समाज के प्रति खुला विद्रोह कर देता है। अतः दंड का प्रयोग न्यूनतम किया जाना च

◆◆◆